रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 525] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 1985/कार्तिक 10, 1907
No. 525] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 1985/KARTIKA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1985

अधिसूचना

का. आ. 798(अ).—जबकि आरांविल (आपत्कालीन उपबन्ध) अधिनियम, 1980 (1980 का 59) (आगे इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में आरांविल का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार को निहित था, जिसे भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस. ओ. 787(ई) दिनांक 6 नवम्बर, 1982, सं. एस. ओ. 784 (ई.) दिनांक 28 अक्तूबर, 1983 और सं. एस. ओ. 793 (ई.) दिनांक 11 अक्तूबर, 1984 द्वारा वर्षवार आधार पर 9 नवम्बर, 1985 तक बढ़ा दिया गया था।

2. और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आरोविल का उपयुक्त प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन है कि ऐसा प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1985 से एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त सरकार में ही निहित रहे।

3 अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश करती है कि आरोविल का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1985 से एक वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा।

[सं. एफ. 27-9/84-यू. यू. 1]
एस. एल. कौशल, निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 24th October, 1985

NOTIFICATION

S.O 798(E).—Whereas in pursuance of the provisions of Sub-section (1) of section 3 of the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980 (59 of 1980) (hereinafter referred to as the said Act), the management of Auroville was vested in the Central Government for a period of two years from the 10th day of November, 1980, which was extended upto 9th November, 1985, on year to year basis, vide Government of India in the Ministry of Education and Culture notifications No. S.O. 783(E), dated the 6th November, 1982, No. S.O. 784(E), dated the 28th October, 1983 and No S.O. 793(E), dated the 11th October, 1984.

2. And whereas the Central Government is of opinion that in order to secure the proper management of Auroville, it is expedient that such management should continue to vest in that Government for a further period of one year from the 10th day of November, 1985.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that the management of Auroville shall continue to vest in the Central Government for a further period of one year from the 10th November, 1985.

[No. F. 27-9/84-UU]

S. L. KAUSHAL, Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985